न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी :: श्री अंश दीप आई.ए.एस.

राजस्व अपील :: 06 / 2020 ::
जीसीएमएस नम्बर :: 2020 / 00024

अपीलांट :–	बनाम	रेस्पोडेन्ट :–
भूमिधारी तहसीलदार रोहट जिला पाली		1. मोहनलाल पुत्र लादुराम जाति घांची निवासी जोधपुर रातानाडा शिव मन्दिर 2. अन्नतराम पुत्र लादुराम जाति घांची निवासी जोधपुर रातानाडज्ञ शिव मन्दिर 3. जेठाराम पुत्र बालीराम जाति घांची निवासी जोधपुर रातानाडा शिव मन्दिर 4. सुशीला पुत्री बालीराम जाति घांची निवासी जोधपुर रातानाडा शिव मन्दिर 5. गोदावरी पुत्री बालीराम जाति घांची निवासी जोधपुर रातानाडा शिव मन्दिर 6. पार्वती पुत्री बालीराम जाति घांची निवासी जोधपुर रातानाडा शिव मन्दिर

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

अपीलाण्ट की ओर से सरकारी पैरोकार श्री सुरेन्द्रसिंह लबाना उपस्थित
रेस्पोडेण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री जुंझाराम परमार उपस्थित

–:: नि र्ण य ::–

दिनांक :– 2-11-20

अपीलांट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के विरूद्ध आपसी सहमती से बंटवाड़ा स्वीकृती आदेश राजस्व / 16 / 457 दिनांक 26.02.2016 को निरस्त कराने हेतु रेस्पोडेंटगण 1 लगायत 6 पेश की है। जो म्याद बाहर होने से मय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम मय शपथ पत्र प्रस्तुत कीया। अपील अपीलांट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की जाकर उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

सरकारी पैरोकार द्वारा वक्त बहस कथन किया गया कि रेस्पोडेंट संख्या 1 से 6 के नाम सामलाती खातेदारी भूमी खसरा नं. 110 / 4 रकबा 26 बीघा किस्म B–II ग्राम निम्बली ब्रहमणान पटवार हल्का रोहट प्रथम में से 9 बीघा 4 बीस्वा भूमि पाली जोधपुर राष्ट्रीय राजमार्ग 65 हेतु भूमि सड़क व टोल प्लाजा निर्माण हेतु आवाप्त की गई। जिसका मुआवजा सभी खातेदारों द्वारा प्राप्त कर लिया गया है। उक्त भूमि के आवाप्ति बाबत भारत सरकार के राजपत्र में दिनांक 12.07.2013 को राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 3ए के तहत नोटिफिकेशन प्रकाशित किया गया। एवं बाद सर्वे एवं नियमानुसार धारा 3सी की कारवाई कर उक्त भूमि के आवाप्ति हेतु धारा 3डी का डिक्लेरेशन भारत सरकार के राजपत्र में दिनांक 26.02. 2014 को प्रकाशन हुआ है। राजपत्र में प्रकाशन की उपरोक्त कारवाई के बाद उक्त आवाप्त की जाने वाली भूमि के सम्बन्ध में कोई भी राजस्व अधिकारी किसी प्रकार का आदेश जारी नहीं कर सकता जिससे की भूमि आवाप्ति की प्रक्रिया प्रभावित हो लेकिन प्रस्तुत अपील में आवाप्तसुदा भूमि जिसका अन्तर्गत धारा 3ए के नोटिफिकेशन व 3डी के डिक्लेरेशन के राजपत्र में प्रकाशन के दो वर्ष बाद दिनांक 26.02.2016 को तत्कालीन तहसीलदार रोहट द्वारा जैर अपील आदेश स्वीकृत कर दिया। एवं स्वीकृती आदेश पटवारी हल्का रोहट प्रथम को जरिये पत्रांक 458 दिनांक 26.02.2016 के पालनार्थ प्रेषित कर दिया गया जिसका नामान्तरकरण संख्या 990 दिनांक 10.03.2016 को नायब तहसीलदार रोहट द्वारा स्वीकृत कर दिया गया। जो आवाप्ति की कारवाई अन्तर्गत धारा 3डी के डिक्लेरेशन के गजट में प्रकाशन के बाद भूमि केन्द्र सरकार के अधिन होने से उक्त नामान्तरकरण आदेश व नामान्तरकरण संख्या 990 दिनांक 13.07.2016 बिना सक्षम भूमि आवाप्ति अधिकारी की स्वीकृती के विधिविरुद्ध होने से निरस्त फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2021.03.05 19:37:08 IST
Reason: SelfAttested

जो बंटवाड़ा स्वीकृत किया गया है उसमें खातेदारों के [illegible] बाबत भूमि का मौका तहसीलदार द्वारा नहीं देखा गया न ही खातेदारों से तस्दीक की गई ऐसा बंटवाड़ा पर तहसीलदार रोहट द्वारा किसी प्रकार का अंकन नहीं कर मात्र

Ansh
जिला कलेक्टर, पाली

क्रमश..........2

स्वीकृती आदेश जारी किए जाने से स्पष्ट है। उक्त बंटवाड़ा के किए जाने से भूमि के बट्टा नम्बर अनुसार खातेदार पृथक–पृथक काबिज होने से प्रस्तावित आवाप्त की जाने वाली भूमि एवं मौके पर तरमीम सूदा रकबे व नामों में भिन्नता आने से भूमि आवाप्ति का कार्य प्रभावित हो रहा है। एवं खातेदारों से कब्जा प्राप्त करने में वैधानिक व्यवधान उत्पन्न होने के कारण इस विधिविरूद्ध बंटवाड़ा स्वीकृती आदेश को खारिज फरमावें जिससे रेकर्ड एवं मौके की धारा 3डी के डिक्लेरेशन के पूर्व की स्थिति बहाल हो सके एवं आवाप्तसुदा भूमि का कब्जा लिया जा सके।

अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने खसरा नम्बर 110/4 रकबा 26 बीघा किस्म B–II ग्राम निम्बली ब्राहमणान पटवार हल्का रोहट प्रथम की भूमि को रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 6 की शामलाती होने के तथ्यों की ताईद करते हुए तहसीलदार रोहट द्वारा आरटी एक्ट की धारा 53 के तहत आपसी सहमती से किए गए बंटवाड़ा स्वीकृती आदेश को सही एवं विधिसम्मत बताया गया। अपने तर्को की ताईद में उन्होंने ये भी निवेदन किया कि भूमि आवाप्ति का जो निर्णय लिया गया है जिसके सम्बन्ध में मय नक्शे के रेस्पोडेंटगण को अवगत नहीं करवाया गया तथा बंटवाड़ा निर्धारित फीस लेकर तहसीलदार रोहट द्वारा स्वीकृत किया गया। जिसमें सभी खातेदारों की सहमती हैं जिसके साथ नजरी नक्शा भी प्रस्तुत किया गया। तथा बाद स्वीकृती बंटवाड़े का राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद किया गया है बंटवाड़ा स्वीकृती आदेश आपसी सहमती से तहसीलदार रोहट द्वारा स्वीकृत किया गया है तथा आपसी सहमती से बंटवाड़ा स्वीकृती आदेश की सीपीसी की धारा 96(3) के तहत अपील नहीं की जा सकती है। तथा तहसीलदार रोहट अपने स्वयं के आदेश की अपील नहीं कर सकता। यह अपील तहसीलदार रोहट द्वारा ही पेश की गई है। जो निरस्त योग्य है। अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने लिखित बहस के साथ सीपीसी की धारा 96(3) की फोटाप्रति पेश करते हुए प्रस्तुत अपील रेस्पोडेंटगण को खर्चे से जैरबार करने के उद्देश्य से किया जाना बताते हुए अपील अपीलांट खारिज करने का निवेदन किया।

उभयपक्ष की बहस को सूना गया एवं उस पर मनन किया गया तथा तहसीलदार रोहट से प्राप्त बंटवाड़ा पत्रावली का भी अवलोकन किया गया प्रथमदृष्टया अपील विधीविरूद्ध आपसी सहमती से बंटवाड़ा स्वीकृती आदेश जारी किए जाना प्रतित होने तथा इससे एनएच 65 हेतु आवाप्त की गई भूमि का कब्जा प्राप्त करने में विधिक परेशानी उत्पन्न होने से राजहित में अपील अपीलांट अन्दर म्याद शुमार की जाती है।

जिस बंटवाड़े का स्वीकृती आदेश तहसीलदार रोहट द्वारा जारी किया गया उस पर तहसीलदार द्वारा मौका देखने तथा खातेदारों के बीच आपसी सहमती बाबत तस्दीक करने की रिपोर्ट का अंकन नहीं है न ही बंटवाड़े पर इस बाबत तहसीलदार के हस्ताक्षर है मात्र स्वीकृती आदेश जारी कर पटवारी हल्का को अमलदरामद हेतु इसकी प्रति दिनांक 26.02.2016 को जरिए पत्रांक 458 के प्रेषित की गई। उक्त स्वीकृती आदेश में भी तहसीलदार द्वारा खातेदारों में आपसी सहमती होने बाबत तस्दीक किए जाने एवं मौका देखे जाने का उल्लेख नहीं है मात्र पटवारी हल्का एवं भू.अ.नि. रोहट कि रिपोर्ट के आधार पर ही स्वीकृती आदेश जारी कर दिया गया जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 के प्रावधानों के अनुरूप न्यायोचित प्रतित नहीं होता है। उक्त आदेश की अपील के सम्बन्ध में वकील रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत सीपीसी की धारा 96(3) के सम्बन्धी प्रावधान इस आदेश के सम्बन्ध में लागू नहीं होकर किसी न्यायालय द्वारा जारी डिक्री की अपील के सम्बन्ध में लागू होते है। प्रस्तुत प्रकरण में तहसीलदार द्वारा डिक्री जारी नहीं कर मात्र स्वीकृती आदेश जारी किया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3ए के तहत एन[illegible] हेतु भूमि आवाप्ति का नोटिफिकेशन दिनांक 12.07.2013 को [illegible] डिक्लेरेशन 26.02.2014 को भारत सरकार के गजट में [illegible] (फोटाप्रति पत्रावली संलग्न है।) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3ए के नोटिफिकेशन के बाद किसी प्रकार की आपति अथवा कारवाई सक्षम भूमि आवाप्ति अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर उसकी बाद स्वीकृति के स्वीकृतीनुसार निस्तारण किया जा सकता है।

क्रमश..........3

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2021.03.05 19:37:08 IST
Reason: SelfAttested

Ansh
जिला कलेक्टर, पाली

अगर रेस्पोडेंटगण को बंटवाड़ा कराना आवश्यक था तो भूमि आवाप्ति अधिकारी के समक्ष आपति के रूप में प्रस्तुत कर बाद स्वीकृती के बंटवाड़ा किया जाना विधिसम्मत था। ऐसा नहीं करने से बंटवाड़ा स्वीकृती आदेश तथा उसकी पालना एवं प्रभाव निरस्त योग्य है।

राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3डी(1) के अनुसार डिक्लेरेशन गजट में प्रकाशन होने के बाद इसकी धारा 3डी(2) में स्पष्ट उल्लेख है कि –

On the pulication of the declaration under sub-section(1), the land shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances.

एवं धारा 3डी(4) के अनुसार–

A declaration made by the Central Government under sub-section(1), shall not be called in question in any court or by any other authority.

जैर अपील बंटवाड़ा स्वीकृती आदेश दिनांक 26.02.2016 को जारी किया गया जबकि इससे 2 वर्ष पूर्व जैर अपील भूमि में से 9 बीघा 4 बीस्वा भूमि एनएच 65 हेतु आवाप्ति का अन्तर्गत धारा 3डी के डिक्लेरेशन दिनांक 26.02.2014 को गजट में प्रकाशित हो चुका था ऐसी परिस्थिति में दिनांक 26.02.2016 को जो स्वीकृती आदेश आपसी सहमती से बंटवाड़ा बाबत जारी किया गया है व बिना सक्षम भूमि आवाप्ति अधिकारी की बिना जानकारी व स्वीकृती के किया गया है जबकि भूमि केन्द्र सरकार में निहित थी ऐसी स्थिति में जैर अपील आदेश जारी करना तहसीलदार रोहट के क्षेत्राधिकार में निहित नहीं होने से जारी किया गया आदेश निरस्त किया जाना न्यायोचित है।

परिणामस्वरूप अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील बंटवाड़ा स्वीकृती आदेश क्रमांक राजस्व/16/457 दिनांक 26.02.2016 निरस्त किया जाता हैं निर्णय की प्रति मातहत अदालत तहसीलदार रोहट के रेकर्ड के साथ पालनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 2-11-20 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Ansh

(अंश दीप)

जिला कलेक्टर, पाली

जिला कलक्टर, पाली

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2021.03.05 19:37:08 IST
Reason: SelfAttested